न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः पवर्तसिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः 4/2020
उनवान मुकदमा

1. रामजी पुत्र श्री वागजी पारगी जाति भील उम्र 80 वर्ष निवासी गांव पटेलिया ग्राम पंचायत अडोर पुलिस थाना सदर जिला बासंवाड़ा राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. रामजी पुत्र कालिया खाट जाति भील उम्र 61 वर्ष निवासी नई आबादी कुशलपुरा पुलिस थाना सदर जिला बांसवाड़ा राजस्थान।
2. श्रीमती लिम्बुडी पत्नी वाला खांट जाति भील उम्र 61 वर्ष निवासी फाटीखान पुलिस थाना सदर जिला बांसवाड़ा राजस्थान।
3. तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा व जिला बांसवाड़ा (राज.)

अप्राथीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थी वकील : श्री समरपण्डया
अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 अधिवक्ता : श्री नरेन्द्र सिंह झूला, श्री मुकेश द्विवेदी, श्री नारायणलाल
अप्रार्थी संख्या 3 : तहसीलदार बांसवाड़ा

आदेश

दिनांक :–29–07–2021

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.06.2020 को पेश किया। जिसकी प्रति अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र बाबत जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा व खातेदारी की घोषणा का न्यायालय में पेश किया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ठोस कानूनी एवं दस्तावेजी आधारो पर आधारित होकर प्रार्थी के हक में डिक्री होने की पूर्ण संभावना है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी के एक मात्र स्वामित्व खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 42 नया 42 पुराना के खसरा संख्या 232/15 रकबा 10 बिस्वा खसरा 233/25 रकबा 8 बिस्वा खसरा संख्या 234/39 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा खसरा 235/39 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा खसरा संख्या 236/40 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल खेत 5 कुल रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम फाटीखान पटवार क्षैत्र कुशलपुरा तहसील व जिला बांसवाड़ा में स्थित है। प्रार्थी अपने परिवार के सदस्यों के साथ उपरोक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर बरसों से कमाता चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 2 तक का कोई कब्जा व हक व अधिकारी नही है। प्रार्थी वर्तमान में भी उक्त खेतों पर काबिज होकर कमा रहा है। प्रार्थी व प्रार्थी संख्या 1 अलग–अलग व्यक्ति है तथा एक परिवार के भी नही है। प्रार्थी जानकारी के बिना अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 2 तक में षड़यन्त्र रच कर अप्रार्थी संख्या 1 ने कुट रचित दस्तावेजों के जरिये प्रार्थी बताकर उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का दस्तावेज विक्रय पत्र क्रमांक 2014005748 दिनांक 19.08.2014 को कुट रचना कर कुट रचित दस्तावेजों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम निष्पादित करवा लिया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को कभी भी वर्णित कृषि भूमि विक्रय नही की और न ही प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में कभी भी कोई दस्तावेज विक्रय विलेख निष्पादित करवाया है जबकि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर आज भी उपयोग व उपभोग कर रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में दिनांक 19.08.2014 को निष्पादित दस्तावेज विक्रय अभिलेख कानूनी दृष्टि में शून्य होकर निरस्तनीय है। इस प्रकार प्रार्थीगण के पक्ष में की गई प्रथम प्रविष्ठि गैर कानूनी होकर निरस्तनीय है। प्रार्थीगण के हक में नामान्तरकरण एवं उसका अमल दरामद भी विधि विरूद्ध होकर निरस्तनीय है। अप्रार्थी संख्या 2 के हक में प्रार्थी की जानकारी के बिना राजस्व कर्मचारियों से मिलकर साठ गाठ कर गैर कानूनी रूप से बाला बाला किया गया इन्द्राज शून्य होकर निरस्तनीय है। प्रार्थी की जानकारी के बिना एट द बैक ऑफ द पार्टीज प्रार्थी की कृषि भूमि के संबध में अप्रार्थीगण के हक में हुए नामान्तरकरण एवं उसका अमल दरामद विधि विरूद्ध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थी उससे बाधित नही है। यदि उपरोक्त कृषि भूमि का प्रार्थी को एक मात्र खातेदार कृषक घोषित नही किया गया और रेकार्ड शुद्धि नही की तो प्रार्थी को असहाय

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

हानि होगी जिसका रूपयों में आंकलन नही हो सकेगा। अप्रार्थीगण दिनांक 25.02.2018 को सुबह करीबन 10.00 बजे प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर अनाधिकृत एवं गैर कानूनी रूप से प्रवेश कर उपरोक्त भूमि पर अतिक्रमण करने के इरादे से मौके पर प्रार्थी एवं उसके परिजनों की उपस्थिति में प्रवेश कर गये और कहने लगे कि हमारी कृषि भूमि है। प्रार्थी एवं उसके परिजन को अप्रार्थीगण ने धमकी दी है कि अब उपरोक्त कृषि भूमि पर प्रवेश किया तो हम तुम्हे जान से मार देगें। प्रार्थी के परिजनों ने अप्रार्थीगणों को समझाने काफी प्रयास किया किन्तु वे नही माने। अप्रार्थीगण प्रार्थी को धमकी देकर चले गये इसके पश्चात प्रार्थी द्वारा आवश्यक रेवेन्यू अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपिया कार्यवाही कर प्राप्त की तो प्रार्थी को पता चला कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम गलत तरीके से दर्ज हो गई। जिससे प्रार्थी के नाम सहखाते में दर्ज की जानी एवं प्रार्थी को खातेदार कृषक घोषित करना आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थी को एक से अनेक कार्यवाहियों का सामना करना पडेगा। प्रार्थी के हक में प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है। जिसके पश्चात प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध प्रथम सूचना पुलिस थाना सदर दर्ज करवाई। जिस पर बाद अनुसधान पुलिस थाना अधिकारी सदर द्वारा अप्रार्थीगण को दोषी मानकर चालान पेश किया। प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में बनता है तथा प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारीत नही की गई तो प्रार्थी को अपूर्णणीय क्षति होगी तथा कार्यवाहियों की बाहुल्यता बढ जावेगी, जिससे अप्रार्थीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खाता संख्या 42 नया 42 पुराना के खसरा संख्या 232/15 रकबा 10 बिस्वा खसरा 233/25 रकबा 8 बिस्वा खसरा संख्या 234/39 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा खसरा 235/39 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा खसरा संख्या 236/40 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल खेत 5 कुल रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम फाटीखान पटवार क्षैत्र कुशलपुरा तहसील व जिला बांसवाड़ा पर अप्रार्थीगण अनाधिकृत रूप से प्रवेश नही करे अतिक्रमण नही करे प्रार्थी को बेदखल नही करे प्रार्थी के शान्तिपूर्ण उपयोग व उपभोग तथा प्रार्थी के अधिकारों में किसी प्रकार से बाधा नही पहूचावे और न उपरोक्त कृषि भूमि अथवा उसके किसी भाग पर खुदाई या निर्माण करे और न प्रार्थी को उपरोक्त कृषि भूमि में प्रवेश करने तथा प्रार्थी को अपने अधिकारों के प्रयोग से न रोके और अप्रार्थीगण अपने प्रतिनिधि से ऐसा कार्य करावे जिससे प्रार्थी को नुकसान पहुचता हो अप्रार्थीगण कृषि भूमि की सारभूत शक्ल में परिवर्तन नही करे तथा अन्य कोई न्यायोचित आदेश जो न्यायालय उचित समझे पारित करे।

फर्द दस्तावेज में विक्रय विलेख पत्र की छायाप्रति, जमाबन्दी संवत 2027 से 30, 2034 से 37, 2051 से 54, 2070 से 73, की छायाप्रति, राजस्व विभाग राजस्थान की पास बुक की छायाप्रति, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, आधार कार्ड 863682792959, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक आफ बडोदा पास बुक की छायाप्रति संलग्न प्रस्तुत है।

दिनांक 27.01.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब पेश हुआ। जिसमें बताया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 इस हद तक कि प्रार्थी ने आप न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आरटीए में प्रस्तुत किया। अन्य विवरण अस्वीकार है। प्रार्थी का दावा न तो ठोस आधारों पर आधारित है। न ही दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है। न ही प्रार्थी को सफलता मिलने की संभावना प्रार्थी का दावा काबिजे निरस्ती की है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में बताया खाता संख्या 42 नया 42 पुराना के खसरा संख्या 232/15 रकबा 10 बिस्वा खसरा 233/25 रकबा 8 बिस्वा खसरा संख्या 234/39 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा खसरा 235/39 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा खसरा संख्या 236/40 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल खेत 5 कुल रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम फाटीखान पटवार क्षैत्र कुशलपुरा तहसील व जिला बांसवाड़ा में स्थित है कि कृषि भूमि का एकमात्र मालिक रामजी पिता कालिया भील काबिज होकर बहैसियत खातेदार के काबीज होकर काश्त कर रहा है एवं राज्य सरकार में नियमित रूप से लगान अदा करता चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 की उल्लेखित खसरा संख्या की कृषि भूमि अप्रार्थीसंख्या 1 ने बजरिये विक्रय पत्र दिनांक 19.07.2014 द्वारा विधिवत अप्रार्थी संख्या 2 को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा विक्रय किया है। तथा विक्रयसुदा कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। एवं विक्रयसुदा भूमि पर वर्तमान में मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 काबिज है तथा शेष भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 काबीज है वादग्रस्त भूमि पर कोई हक हित व हिस्सा व कब्जा नही है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 3 अस्वीकार है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 के कथन असत्य होकर अस्वीकार है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है। तथा वादग्रस्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम बहैसियत खातेदारी के एक मात्र स्वामित्व व आधिपत्य की होकर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम विधिवत जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19.08.2014 के द्वारा क्रय कर विधिवत अप्रार्थी संख्या 2 को कब्जा सुपुर्द किया है तथा विक्रयसुदा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 काबीज होकर काश्त कर रही है। वादी

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

पत्र की चरण संख्या 5, 6, 7 , 8 ,9 , 10, 11, 12, 15, 16 असत्य होकर अस्वीकार है। विशेष कथन में बताया कि प्रार्थी का कोइ वाद कारण उत्पन्न नही होता है। तथा काल्पनिक तौर पर अप्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि से बेदखल करने दिनांक 25.02.2018 को सुबह 10.00 बजे की वाकयातबत कर हैरान परेशान करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। तथा विक्रय पत्र आप न्यायालय से निरस्त कराने का गैर कानूनी प्रयास किया है। जिस कारण विधि विरूद्ध होने से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी काबील निरस्ती है। अप्रार्थी संख्या 1 ने 2 को विधिवत विक्रय पत्र के द्वारा पंजीयन करवाया है। तथा विक्रयसुदा भूमि पर अप्रार्थी 2 को मौके पर काश्त कर रही है। तथा प्रार्थी आप न्यायालय से विक्रयपत्र निरस्त कराना चाहता है जिस कारण दावा कानूनन पोषणीय नही होने से काबील निरस्ती है। वादग्रस्त भूमि पर आज दिन तक कब्जा प्रार्थी का नही है। बिना कब्जे के प्रार्थी का वाद होने से वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का हक अधिकार स्वमेव समाप्त हो गये है। बिना कब्जे काश्त के प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र लाने का अधिकारी नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चे हर्जे के निरस्त फरमावे।

दिनांक 29.07.2021 को विद्वान अभिभाषक गणों की मजिद बहस सुनी गई। प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता श्री समर पण्डया ने अपने कथन में बताया कि रामजी पिता वागजी के नाम के खाता है। पूर्व में यह खाता हमारे नाम था सिधा खाता बिना किसी सेल डीड आदि के रामजी पिता कालीया के नाम दर्ज हो गया। हमने एफआईआर नम्बर 70/2018 दर्ज करवाया, जिसमें इनके विरूद्ध चालान भी सदर थाना द्वारा किया गया है। रामजी पिता कालीया ना तो हमारा रिश्तेदार है। यह सेल हमारे जानकारी के बिना हुआ है। विक्रय पत्र फर्जी है। दिनांक 25.08.2018 को हमे रोका तो हमने पुलिस में रिपोर्ट की। जब बार–बार परेशान किया तो हम न्यायालय की शरण में आए है। इन्हे (further) आगे बेचान से रोका जावे तथा हमारे दखल न दे। कब्जा हमारा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश द्विवेदी ने अपने कथन में बताया कि राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम है। राजस्व रेकार्ड से काश्तकार ऋण लेते है, खाते का पैसा आता है, इनको जानकारी में है पहले से। हमारे द्वारा कोई परिवर्तन राजस्व रेकार्ड में नही है। हमने जो भूमि विक्रय की है, वह मेरे कब्जे काश्त की भूमि है। मौके पर कब्जा काश्त मेरा है। धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत समस्त अधिकार ही खत्म हो गये है। इनके पास कब्जा होने संबधी कोई कागज नही है। अतः इनका प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज करावे। पुनः प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता श्री समर पण्डया ने अपने कथन में बताया कि इन्होंने जवाब दावे में कही भी कथन नही किया है की उनका कब्जा है। इन्होने भी कोई रिकोर्ड पेश नही किया है की उनका कब्जा है। इनका कथन संवत 2043 से हम काबीज है, उसका इन्होने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। अभी तो प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन ही देखना है, अगर लिम्बुडी ने भूमि आगे बेच दी तो और विवाद उत्पन्न हो जाएगे। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करावे।

उक्त पत्रावली का अवलोकन एवं विद्वान अधिवक्तागणों की बहस पर गहन मनन किया। तो पाया कि उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थीगण ऐसी स्थिति में मैं मेरिट एवं साक्ष्य के आधार पर निर्णय देना उचित समझता हूँ। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना प्रथम दृष्टया उचित होगा।

आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया जाता है । प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 लगायत तक के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा परित की जाती है कि वह वाद चलने के दौरान खाता संख्या 42 नया 42 पुराना के खसरा संख्या 232/15 रकबा 10 बिस्वा खसरा 233/25 रकबा 8 बिस्वा खसरा संख्या 234/39 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा खसरा 235/39 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा खसरा संख्या 236/40 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल खेत 5 कुल रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम फाटीखान पटवार क्षैत्र कुशलपुरा तहसील व जिला बांसवाड़ा पर अप्रार्थीगण अनाधिकृत रूप से प्रवेश नही करे अतिक्रमण नही करे प्रार्थी को बेदखल नही करे प्रार्थी के शान्तिपूर्ण उपयोग व उपभोग तथा प्रार्थी के अधिकारों में किसी प्रकार से बाधा नही पहूचावे और न उपरोक्त कृषि भूमि अथवा उसके किसी भाग पर खुदाई या निर्माण करे और न प्रार्थी को उपरोक्त कृषि भूमि में प्रवेश करने तथा प्रार्थी को अपने अधिकारों के प्रयोग से न रोके और अप्रार्थीगण अपने प्रतिनिधि से ऐसा कार्य करावे जिससे प्रार्थी को नुकसान पहुचता हो अप्रार्थीगण कृषि भूमि की सारभूत शक्ल में परिवर्तन नही करे। उपर्युक्त खसरा नम्बर के खेतों में अन्यत्र की किसी भी तरह से हस्तांतरण नहीं करे, बेचान, मोर्गेज, रहन, दान, वसीयत नहीं करे और ना ही प्रार्थी को उक्त कृषि से बेदखल करे। पत्रावली मूल पत्रावली के साथ संलग्न किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29–07–2021 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा राज.

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा